सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 14/17 **निर्णय दिनांक 9.2.2018**

1. जाम सिंह पुत्र किशन सिंह जाति राजपूत निवासी भलूरी तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार कोलायत।

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 26—06—2015
सहायक आयुक्त उपनिवेशन(प्रथम), बीकानेर

उपस्थितः—

1. श्री पदम सिंह, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉं, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) के आदेश दिनांक 26—06—2015 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने विशेष आवंटन में आवंटन हेतु चक नम्बर 6 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर 193/10 की कुल 25 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन में आवंटित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र आवंटन अधिकारी के समक्ष पेश किया। आराजी जैर के आवंटन हेतु अपीलांट की प्रथम वरियता बनने पर आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 01—05—2010 को आवंटन स्वीकृत कर 20 प्रतिशत राशि जमा कराने का अनुमोदन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 01—05—2010 को किये गये विशेष आवंटन एवं विशेष आवंटन हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र में अनियमितत की शिकायत होने पर श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सतर्कता) बीकानेर द्वारा उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 1 के आमंत्रित विशेष आवंटन प्रार्थना पत्रों एवं आवंटन सलाहकार समिति दिनांक 01—05—2010 को किये गये विशेष आवंटन प्रार्थना पत्रों को बाद जॉच आवंटन निरस्त योग्य होने से निरस्त किये जाते है।

पत्रावली में कहीं भी नोटिस जारी करने का आदेश नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की गई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार के बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26—06—2015 के विरूद्व अपील दिनांक

01–03–17 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन इस आधार पर खारिज किया गया है कि दिनांक 01–05–2010 को किये गये विशेष आवंटनों में अनियमितता पाये जाने के कारण खारिज किये जाते है। व नये सिरे से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. **(1)** जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–06–2015 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील दिनांक 01–03–2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काऊन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने चक नम्बर 6 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर 193/17 की कुल 25 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन में आवंटित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र आवंटन अधिकारी के समक्ष पेश किया।

(3) प्रकरण में अपीलांट द्वारा आवेदित विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 01–05–2010 को किये गये विशेष आवंटन एवं विशेष आवंटन हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र में अनियमितत की शिकायत होने पर श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सतर्कता) बीकानेर द्वारा उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 1 के आमंत्रित विशेष आवंटन प्रार्थना पत्रों एवं आवंटन सलाहकार समिति दिनांक

01—05—2010 को किये गये विशेष आवंटन प्रार्थना पत्रों को बाद जॉच आवंटन निरस्त योग्य होने से निरस्त किये जाते है तथा अपीलांट अन्य रकबा आवंटन कराने का इच्छुक है तो नियमानुसार विकल्प में अन्यत्र रकबा हेतु आवेदन कर सकता है।

(4) चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के रकबे आवंटन में अनियमितता पाये जाने के कारण खारिज किया गया है व अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में जब स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया गया है, कि यदि अपीलांट अन्य रकबा आवंटन कराना चाहता है तो नियमानुसार अन्यत्र रकबे के लिए आवेदन कर सकता है। लिहाजा ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट अपीलाधीन आदेश के अनुसार अन्य भूमि के लिए आवेदन करने हेतु स्वतन्त्र है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 26—06—2015 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर